कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

ज्ञापन

क्रमांक...8267...सहा.लेखा./2022 **भोपाल, दिनांक...02...नवम्बर 2022**

प्रति,

अपर संचालक,
विज्ञापन,
जनसम्पर्क कार्यालय,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– जिला न्यायालय भवन परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल में मोबाईल कंटीन (फूड वैन) संचालन हेतु निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करने बाबत।

****

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित मोबाईल कंटीन (फूड वैन) संचालन हेतु निविदा आमंत्रित करने संबंधी विज्ञप्ति इस पत्र के साथ आपकी ओर संलग्न भेजी जा रही है।

अतः उक्त विज्ञप्ति दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत, पत्रिका एवं पीपुल्स समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कर (प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति) इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः–विज्ञप्ति की प्रति।

sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक...8268/2022 **भोपाल, दिनांक ...02... नवम्बर 2022**

प्रतिलिपि :–

(1) प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर निविदा प्रलेख जिला न्यायालय, भोपाल एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

(2) जिला रजिस्ट्रार,जिला न्यायालय भोपाल,

(3) जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, भवन अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित कैंटीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तो के संबध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 10.11.2022 को दोपहर 01:00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला न्यायालय, भोपाल मे जमा कर सकते है। निविदा उक्त दिनांक को सायंकाल 04:00 बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रलेख/आवेदन राशि रूपये 100/- नगद जमा करने पर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल से दिनांक 09.11.2022 तक कार्यालयीन समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल(म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

//निविदा प्रलेख//

जिला न्यायालय भवन भोपाल में अनुबंध निष्पादित कराये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए **मोबाईल कैंटीन (फूड वैन)** संचालन हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्ते निम्नानुसार है :–

01. निविदाकर्ता द्वारा निविदा आवेदन प्रस्तुत करते समय राशि रूपये 5,000/– की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

02. केंटीन संचालन हेतु सुरक्षा निधि की राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) की F.D.R. प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी।

03. प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर रूपये 10,000/–(रूपये दस हजार रूपये मात्र) या स्वीकृत निविदा के अनुसार प्रतिमाह निर्धारित की गई प्रीमियम राशि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अग्रिम देय होगी, यदि लगातार तीन माह तक प्रीमियम राशि जमा न किए जाने की दशा में धरोहर राशि एवं F.D.R. की राशि जप्त कर वसूल की जाएगी तथा अनुबंध तत्काल निरस्त किया जावेगा।

04. निविदाकर्ता द्वारा श्रमिक संबंधी सभी विधियों, नियमों एवं नियमनों का पालन किया जावेगा, जिनका उल्लंघन करने पर निविदाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होगा।

05. प्रतिष्ठान में सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए निविदाकर्ता द्वारा व्यवसायिक कार्य संपादित किया जावेगा, उपेक्षा की दशा में निविदाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

06. निर्धारित गुणवत्ता का संधारण करना निविदाकर्ता के लिए अनिवार्य होगा अर्थात् एगमार्क व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में वर्णित खाद्य पदार्थो के मानकों के साथ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रयोग की जावेगी।

07. व्यवसायिक प्रतिष्ठान लायसेंस के रूप में विशिष्ट कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दिया जावेगा तथा प्राप्त निविदाओं में से जो उच्चतम की निविदा होगी उसे मान्य किया जाएगा।

08. विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों, अनुभवी/ बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

09. प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम भोपाल एवं संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक होगा।

10. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

11. व्यवसायिक प्रतिष्ठान का व्यवसाय न्यायालयीन कार्य दिवस समय में ही किया जाएगा।

12. प्रधान जिला न्यायाधीश का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

13. व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/ संरचना तथा ऐसा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे।

14. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

15. व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगें तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम उपयोग नहीं करेंगे।

16. निविदाकर्ता द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जावेगा जिससे न्यायालयीन सुरंदरता प्रभावित हो।

17. व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु 08 से 10 कुर्सियों को उपयोग किये जाने की अनुमति होगी। जिसको कार्य से पूर्व लगाये जाने एवं कार्य समाप्ति पश्चात हटाये जाने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।

18. आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।

19. आवंटी का व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालन हेतु आवंटन किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त करने पर आवंटी को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा उक्त स्थान को रिक्त करा लेने का जिला न्यायाधीश भोपाल को अधिकार होगा।

20. प्रतिष्ठान में खाद्यय सामग्री के अलावा अन्य किसी पदार्थ जैसेः– गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला एवं अन्य किसी मादक पदार्थों का विकय नहीं किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)